

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 301/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मिश्रादेवी बनाम धापू वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री सुरताराम मेघवाल

विप्रार्थीगण वकील :-

निर्णय

दिनांक – 18.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प मीठे का तला में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा इब्रे का तला, पटवार क्षेत्र मीठे का तला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 871/605 रकबा 12.00 बीघा स्थित है। प्रार्थीनी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीनी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीनी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीनी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीनी के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीनी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीनी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


अतः प्रार्थीनी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा इब्रे का तला, पटवार क्षेत्र मीठे का तला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 871/605 रकबा 12.00 भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रूपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमिपत्रकर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीनी मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीनी के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प मीठे का तला में सुनाया गया।




(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1051

दिनांक 29/5/18

प्रार्थनी :-

1. मिश्रा देवी पत्नि नरसिंह
जाति राजपुरोहित, निवासी इब्रे का तला
तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. धापू पत्नी समरथसिंह 2. वीरसिंह 3. सवाईसिंह पि.
गोरधनसिंह 4. दीपसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति
राजपुरोहित, 5. हाकमराम पुत्र शेराराम, जाति
मेघवाल, निवासी इब्रे का तला, तहसील सेडवा।
5. मदनकंवर/पदमसिंह जाति राजपूत, निवासी
बावड़ीकला, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 301/2017

दिनांक : 18.05.2018

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र मीठे का तला के मौजा इब्रे का तला के खेत खसरा सं. 871/605 रकबा 12.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

मौका कमिशनर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमिशनर फीश प्रार्थनी मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



(भूपेन्द्र कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

दिनांक 29/5/18

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1052 & 1055

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थनी मिश्रा देवी
3. विप्रार्थीगण धापू वगैरा वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेडवा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

चौहटन